क्रम-संख्या—177

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज़ पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 9 जुलाई, 2007

आषाढ़ 18, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1187/79—वि—1—07—01—(क)29-2007

लखनऊ, 9 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 7 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–1 सन् 1996 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"(3) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे"।

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये पद धारण करेंगे,

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेंगे।

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(6) (क) अध्यक्ष को राज्य के राज्यमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी,

(ख) उपाध्यक्ष को राज्य के उप मंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी"

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) का अधिनियमन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के लिये किया गया था। आयोग के कामकाज में और अधिक गतिशीलता लाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि उक्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह सदस्यों, जिनमें से अध्यक्ष सहित सोलह सदस्य पिछड़े वर्गों से होंगे, से किया जायेगा; अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्य मंत्री एवं उपमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

तत्पश्चात यह विनिश्चय किया गया कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिये व्यक्तियों के नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में जाति के प्रतिबन्ध को निकाल दिया जाय।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपर्युक्त उपान्तर सहित प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1187/79–V–1–07–1(Ka)29/2007
Dated, Lucknow July 9, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pichada Varg Rajya Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 7, 2007:–

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT , 2007

(U.P. Act No. 10 of 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

futher to amend the Uttar Pradesh Commission for Backward Classes Act, 1996.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

Amendment of section 3 of president's Act no. 1, 1996

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996, hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (3) the following sub-section shall be substituted, namely :–

"(3) The Commission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairman and seventeen other Member's nominated by the State Government from amongst persons of eminence, ability and integrity"

Amendment of section 4

3. In section 4 of the Principal Act,–

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely :

"(1) The Chairman, Vice-Chairman or every other member shall hold office for a term of one year from the date he assumes office :

Provided that the Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office as such during the pleasure of the State Government.

(b) sub-section (3) shall be omitted.

(c) after sub-section (5) the following sub-section shall be inserted, namely :–

"(6) (a) The Chairman shall be having the status of a Minister of the State.

(b) The Vice-Chairman shall be having the status of the Deputy-Minister of the State";

U.P. Ordinance no 13 of 2007

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996 (Presidents Act no. 1 of 1996) has been enacted to constitute a Commission for Backward Classes with a view to making the working of the Commission more dynamic it was decided to amend the said Act to provide that the said Commission shall be Constituted with a Chairman, two Vice-Chairman and seventeen members of which sixteen members including the Chairman shall be from amongst Backward Classes. the Chairman, the Vice-Chairman or every member shall hold office for a term of one year from the date he assess office or during the pleasure of the State Government and the Chairman and the Vice-Chairman shall be having the Status of the Minister of State and the Deputy Minister respectively.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 13 of 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

Thereafter it has been decided to omit the restriction of caste with respect to the nomination of persons for the offices of the Chairman, Vice-Chairman and members of the Commission.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance with the modification as aforesaid.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 267 राजपत्र (हि०)–2007–(699)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 146 सा० विधायी–(700)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर / आफसेट)।